मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय,

क्रमांक एफ 3–133 / 2012 / 32 भोपाल दिनांक / /2014

प्रति,

1. कलेक्टर,
जिला भोपाल ।

2. संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय भोपाल ।

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत भोपाल ।

4. आयुक्त
नगर निगम
भोपाल ।

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

विषय :-- भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण बावत्।

राज्य शासन ने भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण का निर्णय लिया है जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराकर विभाग को सूचित कराने का कष्ट करें।

संलग्न :-- यथोपरि

(एस के मुदगल)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
भोपाल दिनांक 28/10/2014

पृ0क्र0--एफ 3--133 / 2012 / 32

प्रतिलिपि :--

आयुक्त–सह–संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल को संचालनालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

(एस के मुदगल)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

// सूचना //

भोपाल, दिनांक 28.10.2014

क्रमांक एफ–3–133/2012/बत्तीस– मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक–1 सन् 2012) की धारा 23–"क" की उपधारा (1) के खण्ड(ख) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची मे यथा निर्दिष्ट भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण प्रस्तावित करती है।

//अनुसूची //

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू उपयोग	उपांतरण पश्चात उपांतरित भू उपयोग
1.	ग्राम बरखेडी खुर्द	22/2, 23, 24, 44, 83/24/1/2,	1.809 हेक्टेयर	निम्न घनत्व आवासीय	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक के अंतर्गत शैक्षणिक शर्ते–(1) आवेदक को जल–मल निकासी की एवं जल प्रदाय की सम्पूर्ण व्यवस्था करनी होगी। (2) आवेदित भूमि स्थित वृक्षों को यथावत रखना होगा। (3) भूउपयोग उपांतरण की अंतिम सूचना जारी करने के पूर्व खसरा क्रमांक –45 के संबंध में सत्यापित जानकारी उपलब्ध करानी होगी। (4) भूउपयोग उपांतरण की अंतिम सूचना जारी करने के पूर्व आवेदक द्वारा चिन्हांकित 50प्रतिशत

					भूमि का खसरे पर अंकित कर राज्य शासन को प्रस्तुत करना होगा।
		योग	1.809 हेक्टेयर		

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल तथा www.mptownplan.nic.in वेबसाईट पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होगें। प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(वर्षा नावलेकर)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग